भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2555
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

† 2555.श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बिद्‌युत बरन महतो:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री प्रवीण पटेल:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री आलोक शर्मा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री नव चरण माझी:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री गोडम नागेश :

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत स्थापित 730 से अधिक शीतागारों, बर्फ संयंत्रों और 6,410 फिश कियोस्क से मछली पकड़ने के बाद होने वाली क्षति में कैसे कमी सुनिश्चित हुई है और मछुआरों के लिए कीमतों में कितना सुधार हुआ है;
(ख) राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यपालन गणना 2025 और 'व्यास- एनएवी' जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल डेटा संग्रह से समुद्री संसाधनों के नीति निर्माण और सतत प्रबंधन के किस प्रकार सुद्दढ़ होने की संभावना है;
(ग) अब तक 100 तटीय मछुआरा गांवों को जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है;
(घ) उक्त पहल से तटीय आजीविका का जलवायु प्रभावों से किस प्रकार संरक्षण होता है;
(ङ) 2021 से देश में, विशेषकर दक्षिण कन्नड़ में, पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत और संचालित शीतगृह इकाइयों, बर्फ संयंत्रों, प्रशीतित परिवहन वाहनों और मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की संख्या कितनी है;
(च) क्या सरकार ने ओडिशा के भद्रक और बालासोर जिलों में सभी पात्र लाभार्थियों को बुनियादी ढांचे के समर्थन, कल्याणकारी योजनाओं और आजीविका विकास पहलों सहित पीएमएमएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रभावी रूप से कवर करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार की इन गांवों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो दक्षिण कन्नड़ के शामिल किए जाने वाले गांवों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के केंद्र प्रायोजित योजना घटक के तहत राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और फिश कियोस्क जैसे पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए गए हैं। ऐसे पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय निधि संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को PMMSY के तहत प्रदान की जाती है। PMMSY और पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत विकसित पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मत्स्य संरक्षण, मत्स्य की गुणवत्ता बनाए रखने, मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य संबंधित हितधारकों को उच्च मूल्य की प्राप्ति के लिए मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के शेल्फ लाइफ की वृद्धि में योगदान दे रही हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद/नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) के माध्यम से हुए हालिया अध्ययन “अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी में पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान का आकलन/असेसमेंट ऑफ़ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन इनलैंड एंड मरीन फिशरीज़” से पता चला है कि अंतर्देशीय मात्स्यिकी में पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान का राष्ट्रीय औसत 18% (वित्त वर्ष 2019-20) से घटकर 8.84% (वित्त वर्ष 2023-24) हो गया है और समुद्री मात्स्यिकी में यह 21% (वित्त वर्ष 2019-20) से घटकर 9.3% (वित्त वर्ष 2023-24) हो गया। इस अध्ययन में 2023-24 के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र में औसत राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान 9.16% बताया गया है।

(ख): राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी जनगणना/नेशनल मरीन फिशरीज़ सेंसस के तहत एकत्र किए गए हाई रेजोल्यूशन, जियो-टैग्ड हाउसहोल्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर-लेवल ग्रैन्युलर डिजिटल डेटा, योजनाओं के लक्षित वितरण, कमजोर(आर्थिक रूप से वंचित) समूहों की पहचान, इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स (हार्बर, मार्केट, कोल्ड चेन) का आकलन और क्लाइमेट रेसीलिएंट आजीविका-आधारित हस्तक्षेप और साक्ष्य-आधारित योजना में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, जियो-रेफरेंस्ड डिजिटल डेटाबेस से मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए नीति नियोजन को सुदृढ़ करने, साक्ष्य-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश को सहायता प्रदान करने, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करके आजीविका पहल को बढ़ावा देने और मछली पकड़ने वाले समुदायों तक योजना की पहुंच में सुधार करने का अनुमान है। इससे सस्टेनेबिलिटी मापदंडों की बेहतर निगरानी की सुविधा भी मिलती है, डिजिटल वर्कफ़्लो की ओर शिफ्ट से संचालन में दक्षता, सटीकता और पारदर्शिता में सुधार होता है।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तटीय समुदायों के विकास के महत्व को समझते हुए, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट के करीब स्थित मौजूदा 100 तटीय मछुआरा गांवों (CFV) को क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस(CRCFV) के रूप में विकसित करने और उन्हें आर्थिक रूप से जीवंत मछुआरा गांव बनाने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत एक परिवर्तनकारी पहल की है। 100% केंद्रीय वित्त पोषण वाले इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। सूचित किया गया है कि कुल 190 करोड़ रुपए की लागत से 95 मौजूदा तटीय गांवों को क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमेन विलेजस (CRCFVs) के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न तटीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को 47.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि प्रदान की गई है। क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमेन विलेज प्रोग्राम अन्य बातों के साथ-साथ तटीय मछुआरों के लिए वैकल्पिक आजीविका सृजित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए ओपन सी केज कल्चर, सीवीड और बाइवाल्व कल्टीवेशन जैसी विभिन्न क्लाइमेट रेसीलिएंट आजीविका गतिविधियों के विकास की परिकल्पना करता है।

(ड.): PMMSY, अन्य बातों के साथ-साथ कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है और इस योजना के तहत, गत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, 734 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट, मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 27,301 यूनिट्स जैसे कि आइस बॉक्स के साथ 10924 मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स के साथ 9412 साइकिल, 3915 ऑटो रिक्शा, 1265 लाइव फिश वेंडिंग यूनिट्स, 1406 इंसुलेटेड ट्रक और 379 रेफ्रिजेरेटेड ट्रक, 6410 फिश कियोस्क, 202 रिटेल फिश मार्केट, 21 होलसेल फिश मार्केट के विकास के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में PMMSY के तहत अलग-अलग क्षमता के 20 आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज निर्माण, एक फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और अपग्रेड करने, 4 रेफ्रिजेरेटेड वेहीकल्स, 16 इंसुलेटेड वेहीकल्स, आइस बॉक्स के साथ 7 थ्री-व्हीलर और आइस बॉक्स वाली 15 मोटरसाइकिलों की खरीद में सहायता प्रदान की गई है।

(च): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अब तक PMMSY के तहत 1298.25 करोड़ रुपए की कुल लागत पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए ओडिशा सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसमें एक फिशिंग हार्बर का विकास, 38 आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज, 68000 मछुआरे परिवारों को आजीविका सहायता तथा ओडिशा राज्य में सालाना औसतन लगभग 1.08 लाख मछुआरों की दर से 53,91,593 मछुआरों का बीमा कवरेज शामिल है। PMMSY योजना के तहत, विभिन्न जिलों में लाभार्थियों की पहचान करके उन्हे प्रभावी ढंग से कवर करने और पात्र लाभार्थियों तक PMMSY का लाभ पहुंचाने का कार्य ओडिशा सरकार द्वारा किया जाता है।

(छ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कार्यान्वित कर रहा है और इस चल रही योजना के तहत क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस के तौर पर विकास करने के लिए अभी तक केवल 100 तटीय मछुआरा गांवों को चिन्हित किया गया है ।

*****